

- उपस्थित पुत्रा श्री अचलाराम
 1-1-(5) श्रीमति बनु पुत्री श्री अचलाराम
 1-1-(6) उषी देवी पुत्री अचलाराम
 1-1-(7) राधादेवी पुत्री श्री अचलाराम
 1-1-(8) गुड्डी पुत्री अचलाराम
 1-2 चूनाराम पुत्र श्री हरकाराम
 1-3 श्रीमति जेठी पत्नि हरकाराम
 1-4 श्रीमति चम्पा पुत्री हरकाराम
 1-5 श्रीमति पारू पुत्री हरकाराम
 1-6 श्रीमति मोहनी पुत्री श्री हरकाराम
 जाति जाट निवासी चैराई
 तहसील औसिया जिला जोधपुर ।
 -: ब नाम :-

प्रतिवादीगण :-

- 1 श्री अन्नाराम पुत्र श्री चोलाराम
जाति जाट निवासी चैराई
तहसील औसिया जिला जोधपुर ।
- 2 श्री तहसीलदार औसिया

उपस्थिति -

- 1 श्री रुघाराम चोधरी, अधिवक्ता वादी की ओर से ।
- 2 श्री चन्दनसिंह भाटी अधिवक्ता, प्रतिवादीगण की ओर से

वाद अन्तर्गत धारा 88,188, आर.टी.एक्ट. 1955

- निर्णय -

दिनांक - 1/2/21

इस प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम मौजा चैराई के खसरा नम्बर 1987 रकबा 19 बीघा 3 बीस्वा किस्म बरानी चतुर्थ की आई हुई है उक्त भूमि वादी की खातेदारी में दर्ज है । उक्त भूमि मौजा चैराई के खसरा नम्बर 1987 रकबा 19 बीघा 3 बीस्वा भूमि को प्रतिवादीगण के स्वर्गीय पिता चोलाराम द्वारा एवम् प्रतिवादी द्वारा सम्वत 2022 में बेचान कर विधिवत रूप से वादी को कब्जा व काश्त करवा दिया एवं तब से लगातार उक्त भूमि पर वादी का कब्जा व काश्त चला आ रहा है । उक्त वादग्रस्त भूमि पर सम्वत 2022 से लगातार वादी का कब्जा व काश्त है । वादी ने वादग्रस्त भूमि में सन् 1987 में अकाल राहत के तहत उक्त भूमि के मध्य कुआ खुदवाया

वहायक कलेक्टर, जोधपुर

एवं इस कुए से वादी ने खेत को उपजाऊ बनाया इसके पश्चात वादी द्वारा उक्त भूमि में दिनांक 29.4.88 को उक्त कुए को विद्युतीकरण करवाने हेतु विद्युत कनेक्शन बाबत रसीद संख्या 5439/71 के तहत 25 एच.पी. की फाईल की राशि विद्युत कनेक्शन हेतु जमा करवाई। वादी ने अपने पुराने कुए में पानी सुख जाने के कारण इसी कुए के पास ट्यूबवैल भी खुदवाया एवं अपने उपरोक्त पुराने कनेक्शन को विद्युत विभाग द्वारा रिलीज करने पर राशि 46600 दिनांक 13.5.03 को जमा करवाई जिस पर विद्युत विभाग द्वारा वादी के नाम का कृषि कनेक्शन रिलीज किया गया। वादी की वादग्रस्त भूमि में मिर्ची की काश्त की जा रही है एवं वादग्रस्त भूमि के चारों ओर तारबन्दी एवं मेट बन्दी की हुई है। वादी का वादग्रस्त भूमि पर सम्वत 2022 से लगातार काश्त की जा रही है एवं वादग्रस्त भूमि में वर्तमान में रहवासीय झुप्पा, ट्यूबवैल पर होदी व कमरा वगैरा बने हुए हैं वादग्रस्त भूमि वादी अपने ट्यूबवैल से सिंचित करता आ रहा है इसके अलावा वादी द्वारा पूर्व में बाजरी व अन्य श्रवण फसल भी की गई थी। वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि का कब्जा बतौर खातेदार चला आ रहा है एवं वादी द्वारा सम्वत 2022 से लगातार वादग्रस्त भूमि का लगान प्रतिवादी संख्या 2 को अदा किया जा रहा है एवं जमाबन्दी राजस्व रेकर्ड में व खसरा गिरदावरी वादी के नाम बतौर खातेदार दर्ज है व सम्वत 2022 से लगातार कब्जा व काश्त राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। वादग्रस्त भूमि पर वादी का कब्जा व काश्त विधिवत कानूनी तौर पर काश्तकार की हेसियत से चला आ रहा है होने के कारण वादी वादग्रस्त भूमि का खातेदार काश्तकार है एवं पिछले 40 वर्षों से अधिक समय से वादग्रस्त भूमि पर कब्जा काश्त व रहवास होने के कारण वादी वादग्रस्त भूमि का एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदार काश्तकार हो गया है वादी वादग्रस्त भूमि का एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदार काश्तकार है एवं राजस्व रेकर्ड में भी वादी का नाम खातेदार के रूप में भी वादी का नाम खातेदार के रूप में दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 1 का वादग्रस्त भूमि में किसी भी प्रकार का कोई हक व हिस्सा नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 के पूर्व पुरुष चोलाराम द्वारा वादग्रस्त भूमि सावण वद ग्यारस सम्वत 2022 को वादी को बेचान कर वादग्रस्त भूमि पर वादी का कब्जा व काश्त करवा दिया। उक्त बेचान के आधार पर वादी का नाम राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया गया एवं सम्बन्धित न्यायालय द्वारा जांच कर वादी का नाम कब्जा व काश्त के आधार पर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हुआ इसके पश्चात वादग्रस्त भूमि पर वादी का लगातार कब्जा व काश्त चला आ रहा है। इस कारण उक्त बेचान दस्तावेज के आधार दस्तावेज के आधार पर भी वादी खातेदार काश्तकार है एवं खातेदारी घोषणा करवाने का अधिकारी है इसके अलावा वादी का कब्जा व काश्त अतिक्रमी के रूप में नहीं होकर एक खातेदार काश्तकार के रूप में है क्यो कि वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध खातेदार द्वारा बेचान किया जाकर वादी को कब्जा करवाया, काश्त करवाया एवं विधिवत रूप से वादी खातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रेकर्ड में हुआ इस कारण वादी वादग्रस्त भूमि का खातेदार काश्तकार कानूनी तौर पर है एवं वादग्रस्त भूमि के सम्दर्भ में समस्त हक हकुक व अधिकार वादी को कानूनी तौर पर प्राप्त हैं।

वादीगण का उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरीये समन तलब किया गया प्रतिवादीगण के समन बाद तामील प्राप्त हुए जो सामिल मिसल किये गये। प्रतिवादीगण की तरफ से अपने जबाब में बताया कि वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी के स्वामित्व व कब्जे काश्त की है। प्रतिवादी के पिता स्वर्गीय चोलाराम ने सम्वत 2022 में वादी को वादग्रस्त भूमि का कोई बेचान नहीं किया था और नहीं कब्जा सुपुर्द किया था। वादी का कोई कब्जा काश्त नहीं है बल्कि प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त है। सम्वत

प्रमाणक कचमदर, प्रमाण

लगातार वादी का कब्जा काप्त नहीं है । वादी ने वादग्रस्त भूमि में सन् 1987 में अकाल राहत कार्य के तहत कोई कुआ नहीं खुदवाया था उक्त भूमि के मध्य जो कुआ खुदा हुआ है वह प्रतिवादी का कदीमी कुआ है । दिनांक 29.4.88 को उक्त कुर पर विद्युत सम्बन्ध लेने की बात गलत है । वादी ने कोई कनेक्शन कागजी आधार पर लिया है तो वह गलत है । वादी की कोई मिर्ची की फसल नहीं है । वादग्रस्त भूमि में चारों तरफ तारबन्दी व मेडबन्दी प्रतिवादी की की हुई है इसमें वादी का कोई लेना देना नहीं है । सम्वत 2022 से वादी का कब्जा काप्त नहीं है जब प्रतिवादी के पिता ने कोई बेचान ही नहीं किया तो वादी का कोई कब्जा काप्त होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है । वादी ने कोई बेचान नानामा पेश नहीं किया है । वादग्रस्त भूमि में जो भी निर्माण हुआ, ट्यूबवैल होद कमरा वगैरा है वे सब प्रतिवादी के हैं । वादी का मौके पर कुछ भी नहीं है । वादी ने गलत नामान्तकरण संख्या 616 के अपना नाम दर्ज करवा दिया था जिसकी प्रतिवादी को जानकारी होने पर सक्षम न्यायालय में अपील करने उक्त नामान्तकरण को खारीज कर दिया गया है तथा मामला तहसीलदार औसिया को रिमाण्ड किया गया । ए.डी.एम. कोर्ट जोधपुर द्वितीय के आदेश दिनांक 31.5.04 को हुआ था । वादी का वादग्रस्त भूमि पर पिछले 40 वर्षों से कोई कब्जा व कास्त नहीं है प्रतिवादी की गलत नामान्तकरण की जानकारी होते ही उसकी अपील करके निरस्त कर दिया गया है । बिना किसी के बेचान के गलत नामान्तकरण करने से वादी को कोई खातेदारी अधिकार नहीं मिल सकते हैं । नामान्तकरण एक फिस्कल प्रोसिडिंग है जिसके द्वारा कोई अधिकार तय नहीं होते हैं । प्रतिवादी को जानकारी होते ही जिस न्यूटेरिजन के द्वारा वादी का नाम दर्ज किया गया उसको चेलेन्ज कर के निरस्त करवा दिया गया है । वादी का कोई कब्जा काप्त ही नहीं है तो बेदखली कराने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है । वादी का केवल कागजों में ही कब्जा काप्त बताया गया है । वादी वादग्रस्त भूमि का वैध खातेदार कास्तकार नहीं है बल्कि प्रतिवादी वादग्रस्त भूमि का वैध खातेदार कास्तकार है । वादी के कथन अपने आम में विरोधाभासी है कि एक तरफ तो वादी वादग्रस्त भूमि को खरीदना बताता है दूसरी तरफ एडवर्स पजेषन के आधार पर खातेदार होना बताता है फिर दोनों में से कोन सी बात सही है असलीयत में दोनों ही बात झुठी व मनगढन्त है, न तो बेचान किया गया है और न ही एडवर्स पजेषन ही है ।

वादी द्वारा अपनी साक्ष्य में पी.डब्ल्यू -1 अचलाराम, का साक्ष्य शपथ पत्र पेश किये । वादी की तरफ से दस्तावेजी साक्ष्य में कोई दस्तावेज प्रदर्शित नहीं करवाये गये । प्रदर्शित करवाये गये । प्रतिवादी की तरफ से कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं करवाई गई है । दोनों अधिवक्ताओं की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया गया । हमारा विनिश्चय तनकीवार निम्न प्रकार से है -

तनकी संख्या 1- आया वादग्रस्त भूमि खेत खसरा नम्बर 1987 रकबा 19 बीघा 3 बीस्वा वादी ने प्रतिवादी के पिता से सम्वत 2022 में खरीद कर कब्जा प्राप्त किया?

इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर था लेकिन वादी ने बेचान नामा पेश नहीं किया और न ही कोई साक्ष्य में साबित कर पाये कि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1987 रकबा 19 बीघा 3 बीस्वा भूमि प्रतिवादी के पिता से खरीद की गई थी । इस प्रकार से वादी के मुख्य परिक्षण व प्रतिवादी की जिरह की साक्ष्य से उक्त तनकी वादी के विरुद्ध से एव प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित की जाती है ।

तनकी संख्या 2- आया वादग्रस्त आराजी पर वादी का कब्जा कास्त सम्वत 2022 से लगातार चला आ रहा है ?

प्रमाण्य कब्रिद, नासिक

इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर था लेकिन वादी ने सम्वत 2022 से लगातार आज तक कब्जा काशत होने को साबित नहीं कर पाये और न ही कोई साक्ष्य सबूत पेश कर पाये है । उक्त नामान्तकरण के सन्दर्भ में की गई अपील से उक्त नामान्तकरण भी निरस्त किया जा चुका है इसलिए इस प्रकार से वादी के मुख्य परिक्षण व प्रतिवादी की जिरह की साक्ष्य से उक्त तनकी वादी के विरुद्ध में एव प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित की जाती है ।

तनकी संख्या 3- आया वादी विवादग्रस्त आराजी के एडसर्व पजेशन के आधार पर खातेदार घोषित होने का अधिकारी है ?

इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर था । वादी अपनी सक्षम साक्ष्य से उक्त तनकी को साबित नहीं कर पाया है इसलिए उक्त तनकी वादी के विरुद्ध में एव प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित की जाती है ।

तनकी संख्या -4 आया वादी विवादग्रस्त आराजी वादी के सम्बन्ध में स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है ?

इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर था । चूकि तनकी संख्या 1 से 3 साक्ष्य व सबूत के विवेचन के आधार पर वादी के विरुद्ध तथा प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित की जा चुकी है इसलिए उक्त तनकीयात के साक्ष्य सबूत के परिपेक्ष में यह तनकी वादी के विरुद्ध में व प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित की जाती है ।


उक्त प्रकार से प्रस्तुत साक्ष्य सबूत का विवेचन व विश्लेषण करते हुए तनकीवार हमारा निष्कर्ष है कि वादी अपने जुमे की तनकी संख्या 1 व 4 को सक्षम साक्ष्य से प्रमाणित नहीं कर पाये है इसलिए वादी का वाद अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाना उचित प्रतित होता है । अतः वादी का वाद अस्वीकार किया जाकर खारिज किया

जाता है ।




निर्णय आज दिनांक 1/2/21

हस्ताक्षरित किया गया ।


सहायक कलक्टर, औसिया
सहायक कलक्टर, औसिया

को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर


सहायक कलक्टर, औसिया
सहायक कलक्टर, औसिया

